संख्याः 23/2021 /001-1101/87-अति0ऊ0स्रो0वि0/2021

प्रेषक,

राजेन्द्र कुमार,
उप सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,
उ0प्र0 नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा विकास अभिकरण,
विभूति खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ।

अतिरिक्त ऊर्जा स्रोत विभाग **लखनऊः दिनांकः 14 दिसम्बर , 2021**

विषयः-ऊर्जा विकास अभिकरण, उत्तर प्रदेश को वित्तीय वर्ष 2021-22 में मद संख्या- 20-सहायता अनुदान-सामान्य (गैर वेतन) मद में धनराशि अवमुक्त किये जाने केसंबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक ऊर्जा विकास अभिकरण के पत्र संख्या-2391/ए-लेखा- आयोजनेत्तर मद-बजट/2020-21, दिनांक 27 सितम्बर, 2021 के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि श्री राज्यपाल महोदय चालू वित्तीय वर्ष 2021-22 हेतु ऊर्जा विकास अभिकरण (यूपीनेडा) उ0प्र0 को आय-व्ययक के अनुदान संख्या-70 के अन्तर्गत अभिकरण के प्रशासनिक व्ययों की पूर्ति हेतु मद संख्या-20 में प्राविधानित धनराशि रू0 2,00,00,000/- के सापेक्ष अवशेष बची धनराशि रू0 1,50,00,000/-में से द्वितीय तिमाही के रूप में 25 प्रतिशत धनराशि रू0 50,00,000/-(रू0 पचास लाख मात्र) को निम्नलिखित मद पर व्यय करने हेतु सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैः-

क्र0स0	**मद का नाम**	**धनराशि (रू0 में)**
1.	अतिरिक्त ऊर्जा स्रोत कार्यक्रमों का क्रियान्वयन-20-सहायता अनुदान-सामान्य (गैर वेतन)	50,00,000/-
	योगः-	**50,00,000/-**

2- उक्त स्वीकृत धनराशि को व्यय किये जाने में वित्त विभाग द्वारा समय-समय पर जारी एवं वर्तमान में प्रभावी मितव्ययिता संबंधी शासनादेशों में निहित प्रावधानों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

3- उक्त स्वीकृत धनराशि से किसी भी अनानुमोदित मद/मदों पर व्यय न किया जाय। अनुदान का बिल अनुसचिव, अतिरिक्त ऊर्जा स्रोत विभाग, उत्तर प्रदेश शासन द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित किया जायेगा।

4- उक्त धनराशि से संबंधित व्यय के उपयोगिता प्रमाण-पत्र वित्तीय हस्त पुस्तिका खण्ड-5, भाग-1 के पैरा-369एच के अनुसार यथासमय शासन को अवश्य उपलब्ध करा दिये जाये। इस अनुदान का लेखा सम्परीक्षा स्थानीय निधि लेखा से कराकर आडिट रिपोर्ट भी शासन को उपलब्ध करा दी जाये।

5- उक्त स्वीकृत धनराशि के अन्तर्गत शासन द्वारा वित्त विभाग की सहमति से स्वीकृत वाहन/पी0ओ0एल0 आदि के संबंध में शासनादेश संख्या-315/दस-सं.-वि.वि.-2/97, दिनांक 19-03-1997 के निर्देशानुसार व्यय सुनिश्चित किया जायेगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

6- स्वीकृत धनराशि को व्यय किये जाने से पूर्व वित्त विभाग के कार्यालय ज्ञाप संख्या-3/2021/बी-1-375/दस-2021-231/2021, दिनांक 22 मार्च, 2021 तथा समय-समय पर जारी दिशा-निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाये।

7- इस संबंध में होने वाला व्यय अनुदान संख्या-70 में चालू वित्तीय वर्ष 2021-22 के लेखाशीर्षक-''2810-अपारम्परिक ऊर्जा स्रोत-02-सौर-101-सौर ताप ऊर्जा कार्यक्रम-03- विज्ञान एवं अतिरिक्त ऊर्जा स्रोत-0301-नान कन्वेशनल एनर्जी डेवलपमेंट एजेन्सी के माध्यम से अतिरिक्त ऊर्जा स्रोत कार्यक्रमों का क्रियान्वयन-20-सहायता अनुदान-सामान्य (गैर वेतन)'' के नामे डाला जायेगा।

8- यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या-ई-10-2363-दस-20212022, दिनांक 08/12/2021 में प्राप्त उनकी सहमति से निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीय,

राजेन्द्र कुमार
उप सचिव ।

<u>संख्या एवं दिनांकः तदैव।</u>

उक्त की प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

(1) महालेखाकार (प्रथम) उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।
(2) कोषाधिकारी, लखनऊ।
(3) वित्त(व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-10, उ0प्र0 शासन।
(4) वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1, उ0प्र0 शासन।
(5) निदेशक, स्थानीय निधि लेखा परीक्षा विभाग, उ0 प्र0 प्रयागराज।
(6) गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

राजेन्द्र कुमार
उप सचिव ।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।